वर्तमान में सक्षम नारी सशक्तिकरण व विकसित भारत में भूमिका

डॉ० रेखा पाण्डेय

एसोसिएट प्रोफेसर
विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग
भगवानदीन आर्यकन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय लखीमपुर खीरी
म्उंपसण.तमींरंप68/हउंसपण्बवउ

शोध सार

भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की महत्वकांक्षा रखता है। इस प्रकार की चुनौती को पूरा करने में महिलाओं को सशक्तिकरण करना ही केन्द्रीय भूमिका होगी। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को साथ–साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अकेले विकास से लैंगिक असामनताओं को दूर नहीं किया जा सकता है। अमत्य सेन ने वैश्विक स्तर पर विद्यमान लैगिंक असमानताओं को उजागर करने के लिए ''मिसिंग वीमन'' शब्द जोड़ा था। चूंकि भारतीय महिलाएं अपने हितों को लेकर (वेल–बींइग) आज भी कई मापदण्डों पर पिछड़ी हुई है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। महिलाओं को अवसर उनके लिंग भेदभाव के कारण हिंसा और अन्य प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने में मदद मिलती है। महिला सशक्तिकरण सामाजिक–आर्थिक राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदना और सरोकार व्यक्त करता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृटिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है। जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमत्तर माना है।

मुख्य शब्द :– महिला सशक्तिकरण, समता, असमता, समक्ष, विकसित, समाज, अधिकार, स्वतंत्रत न्याय आदि।

साहित्य समीक्षा :–

राजोरिया शोभा, ''महिला और कानून'', (2010) महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति सजग बनाने के लिए महिलाओं के मानवाधिकार, कानूनी अधिकार इत्यादि प्रमुख अधिकारों के प्रति सजगता लाने के लिए लिखा है–

अनुराधा पाण्डेय ''महिला सशक्तिकरण'' (2010) इस पुस्तक मे महिलाओं की स्थिति एवं उनके अधिकारों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है।

अनीता मोदी ''महिला सशक्तिकरण विविध आयाम'' (2011) मे लिखा महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है और विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख किया है।

ब्रंदा कारात ''भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति'', (2009) इस पुस्तक में महिलाओं ने नारी संघर्ष का काफी लम्बा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में आज की महिलाओं के आन्दोलनों की वैश्विक सम्भावनाओं को प्रस्तुत करती है।

मुहम्मद नईम, ''महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं समाधान'', (2014) में इस पुस्तक में महिलाओं सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को समझाने का प्रयास किया है। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को प्रकाशित करते हुये उनके समाधान प्रस्तुत किये है।

आर०सिंह, ''मानवाधिकार एवं महिलाएँ (2006) में इस पुस्तक में मानवाधिकार एवं महिलाएं, भारत के समाज में महिलाएं दशा और दिशा तथा महिला जाग्रति और सशक्तिकरण के बिन्दुओं पर महिलाओं और मानवाधिकारों के विषय में विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है।

सतीश गुप्ता की पुस्तक, ''भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार'' (2010) में लिखा है कि अधिकार हमारे देश के सभी कानून द्वारा लागू होते है संविधान द्वारा देश के सभी महिलाओं और पुरूषों को जो अधिकार प्रदान किये गये है मूल अधिकार कहलाते है।

रावत ज्ञानेन्द्र की पुस्तक, ''औरत अस्मिता और यथार्थ (2010) में गयी महिलाएं आज भी प्रत्येक क्षेत्र में शोषण का शिकार हो रही है। प्राचीन समय की रूढ़ियों और परम्पराओं के नाम पर महिलाओं का मनमाना शोषण हो रहा है।

राधेश्याम गुप्ता, की पुस्तक ''महिला और कानून'' (2010) इस पुस्तक में महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले प्रयास एवं उनके लिए बनाये गये कानूनों ताकि महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाया जा सके।

प्रस्तावना :–

महिला सशक्तिकरण आज के युग में विकास और एक सक्षम समाज के निर्माण के लिए चर्चा का विषय बनाना हुआ है। भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है, भारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल हैं। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधनों को लगातार बेहतर मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके संबंध में डॉ० बी०आर० अम्बेडकर साहब ने भारतीय महिलाओं के विषय में कहा है कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानना होगा कि कोई समाज को कितना मजबूत हो सकता है। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता हैं क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी है बिना इनके साथ लिए कोई भी समाज अपनी सम्पूर्णता में बेहत्तर नहीं कर सकता है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केन्द्र में होकर भी केन्द्र से दूर है।

नारी सशक्तिकरण से अभिप्राय है महिलाओं को उनके अधिकार समानता व स्वतंत्रता प्रदान करना। यह केवल एक सामाजिक पहल नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो समाज को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकती हैं। वह सृजन और समता की मूर्त है। उसे आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा देती है। महिलाओं का शिक्षित होना सशक्तिकरण का पहला कदम है। शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। आज महिलाएँ विज्ञान, राजनीतिक, व्यापार एवमं खेल जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं जरूरी है आप के समाज को नारियों को समझने और उन्हें सशक्ति बनाने की। यह न केवल महिलाओं के लिये ही नहीं बल्कि समाज की उन्नति और देश के विकास के मार्ग दर्शन के लिये भी आवश्यक है। इसलिए ऐसी धारणा की जरूरत है जहाँ नारी सम्मान और समान अवसरों के साथ अपने सपनों को साकार कर सके ''नारी सशक्तिकरण'' को जानने से पहले 'सशक्तिकरण' को जानना आवश्यक है। इसके अभिप्राय किसी व्यक्ति की क्षमता से है जिससे उस व्यक्ति में वह योग्यता आ जाती है, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके और खुद के बारे में उचित और अनुचित न्याय कर सके। 'महिला सशक्तिकरण' में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहें हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बधनों से मुक्त होकर अपने लिए बेहत्तर निर्णय कर एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण कर सके व राष्ट्र निर्माता बन सके।

महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए की जानने लगी क्योंकि समाज में स्थितियों में बेहत्तर सुधार की शुरूआत हो रही है; महिलाओं की स्थितियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें बदलाव लाया जाने के लिए इसमें पूर्णतः प्रयास किये जा रहे है ताकि महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा मिल सके। डा० बी०आर० अम्बेडकर साहब का कथन है कि ''भारतीय नारी श्रम से ही नहीं घबराती किन्तु आसुओं की चिन्ता करते हुए यह रोती है। असमान व्यवहार शोषण से अवश्य डरती है, देखा गया है। बाबा साहेब ने संविधान निर्माण से पहले महिलाओं के अधिकारों एवं समान को लेकर विशेष चिन्ता जताई है इसलिए महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 'महिला सशक्तिकरण' पर पूर्ण जोर दिया ताकि स्वाधीनता पश्चात् बहत्तर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में लैगिंक समानता आती है और महिलाओं को उनके अधिकार मिलते

है। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं की क्षमता का विकास होता है और वे समाज के सभी क्षेत्रों में योगदान दे पाती है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कुछ कारण :–

- महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना
- महिलाओं को समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राजनीति में योगदान देने के लिए अधिकार देना।
- महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर उन्नत करना
- महिलाओं को लैगिंक असमानताओं से मुक्ति दिलाना
- महिलाओं को आत्मविश्वास देना
- महिलाओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना।

महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ उपाय :–

- महिलाओं को शिक्षा, कौशल और संसाधन देना
- महिलाओं को स्व–रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
- महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना।
- महिलाओं को समाज में उनकी भूमिका के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
- महिलाओं को उनके सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं को आत्मविश्वास देना।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता :–

भारत में प्राचीनकाल की तुलना में मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं अनेकों महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ थी, उन्होंने अपने पद का काफी अच्छे ढ़ग से पालन भी किया था। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है, और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी अत्यन्त आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

शिक्षा के मामले में भारत में महिलाएं पुरूषों की तुलना में काफी पीछे हैं। भारत में पुरूषों की शिक्षा दर 75.7 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 62 प्रतिशत ही है। भारत में महिलाओं को शिक्षा की सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और अगर कहीं शिक्षा उपलब्ध भी है तो कुछ ही कक्षाओं की पढ़ाई के बाद ही उनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है भारत में शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रोजगार शील और शिक्षित है; आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं कार्य करती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।

महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक– शिक्षा तक सीमित पहुँच यद्यपि शिक्षा महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है, फिर भी भारत में कई लड़कियों और महिलाओं को गरीबी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण शिक्षा तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की मुख्य समस्याएं क्या है?

छुआछूत, पर्दाप्रथा, भ्रूणहत्या, कन्याहत्या, तिलक–दहेज नशा सेवन आदि सामाजिक बुराइयों के पीछे जातीय परमारा, रीति–रिवाज और मान्यताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रावधान :–

संवैधानिक प्रावधान :–

अनु०–14 यह विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारण्टी देता है; लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

अनु०–15 ;ठद्ध राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष उपबंध करने की अनुमति

अनु०–16 लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्रदान करता है।

अनु०– 39 ;कद्ध पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन का आह्वान करता है।

अनु०–42 राज्य को कार्य की उचित एवं मानवीय दशाए सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने के लिये उपबंध करने का निर्देशन देता है।

सरकारी पहले :–

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना :– महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिये वहनीय। सस्ते ऋण तक पहुँच प्रदान करती है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ :– शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और महिला कल्याण में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

महिला ई–हाटः– यह महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिये एक ऑन लाइन विपणन मंच है।

महिला शक्ति केन्द्र :– कौशल विकास और उद्यमिता के लिये ग्राम स्तर पर सशक्तिकरण कार्यक्रमों और संसाधनों को सुगम बनाता है।

कामकाजी महिला छात्रावास :– शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित एवं सस्ती आवासन सुविधा उपलब्ध कराना।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 :– इसके तहत संवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया और कार्यस्थ पर क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य बनाया गया।

विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हितो के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधान :–

1. **बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं :** (22 जनवरी 2015) महिओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना।
2. **वन स्टॉप रॉटर–** (अप्रेल 2015) इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हुई है।
3. **महिला शक्ति केन्द्र योजना (वर्ष 2017)** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सामुयिक सहयोग द्वारा सशक्त बनाना है।
4. **सबल योजना : – (1 अप्रैल 2011)** इसका उद्देश्य 11–18 वर्ष तक की किशोरियों की देखभाल कर सही पोषण एवं स्वास्थ्य पर बल देना।
5. **प्रधानमंत्री उज्जवल योजना :–** (1 मई 2006) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को मुक्त गैस कनेक्शन प्रदान करना ताकि उनके स्वास्थ्य बेहतर बनाना रह सके।
6. **सिंड महिला शक्ति योजना :–** सिंडीकेट बैंक के द्वारा महिलाओं को व्यवसाय करने के उद्देश्य से उचित दरो पर लोन प्रदान करना ताकि वो स्वयं का कोई व्यवसाय कर सकें।
7. **महिला ई–हाट योजना :–** घरेलू महिलाओं को रोजगार से जोड़न का प्रयास करना।
8. **मुखबिर योजना :–** कन्या भ्रूण हत्या को कम करना
9. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के द्वारा विधवा महिलाओं की आय के स्रोत एवं साधन प्रदान करना है।
10. भाग्य लक्ष्मी योजना
11. निराश्रित महिला पेंशन योजना
12. शादी अनुदान योजना
13. मिशन शक्ति योजना
14. महिला सामर्थ्य योजना

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/समझौते

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत यह कन्वेशन महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन और उनके लिये समान अधिकार सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। भारत ने इस पर वर्ष 1980 में हस्ताक्षर किये और 1993 में इसकी पुष्टि की गई।

बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन : इसे वर्ष 1995 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिये आर्थिक भागीदारी सहित एजेंडा क्षेत्र निर्धारित किये गए। भारत भी इसका एक पक्षकार है।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य ॆ;क्लेद्ध इसके अन्तर्गत लक्ष्य 5 वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण उपाय भी शामिल है।

महिलाओं के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक :–

सुदृढ़ सामाजिक मानदण्ड और पितृसत्तात्मक मानिकसता गहराई से जड़ जमाये सामाजिक मानदड़ और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करते है।

निम्न श्रम बल भागीदारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022ः 23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 47 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत है।

अवैतनिक देखभाल कार्य में विसंगत हिस्सेदारी : भारतीय महिलाओं को पुरूषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों का विसंगत और वैतनिक आर्थिक गतिविधियों के लिये उनके पास उपलब्ध समय सीमित हो जाता है।

विश्व आर्थिक मंच के ॅ;म्थ्द्ध के वैश्विक लैंगिक अतराल सूचकांक 2023 मे भारत 146 देशों की सूची में 127 वे स्थान पर है तथा उसने समग्र लैगिंक अन्तराल के 64.3 प्रतिशत को समाप्त कम कर दिया है हालांकि आर्थिक भागीदारी और अवसर की के मामले में देश ने केवल 36.7 प्रतिशत समानता की हासिल की है।

संम्पत्ति के स्वामित्व और वित्तीय समावेशन का अभाव : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के आँकड़ों से पता चलता है कि सम्पत्ति के स्वामित्व के मामले में महिलाओं की तुलना में पुरूषों का प्रतिशत अधिक है।

42.3 प्रतिशत महिलाओं और 62.5 प्रतिशत पुरूषों के पास घर का स्वामित्व है। जबकि भूमि के स्वामित्व के मामले में यह आँकड़ा महिलाओं के लिये 31.7 प्रतिशत और पुरूषों के लिये 43.9 प्रतिशत है।

सीमित शिक्षाः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के अनुसार देश में कुल महिला साक्षरता दर 71.5 प्रतिशत है, जो पुरूष साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत से पर्याप्त कम है।

सीमित राजनीतिक भागीदारी :– संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 13 प्रतिशत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत तो हो गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी भी लंबिता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की रिपोर्ट :–

हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिन्हित किया गया जहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेशनल सैंपल सर्वे (68 वा राउंट) के अनुसार 2011–12 में महिला सहभागिकता दर 25.51 प्रतिशत थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7 प्रतिशत थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरूषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

भारत की सकल घरेलू उत्पाद ;ळक्च्द्ध में महिलाएँ मात्र 17 प्रतिशत का योगदान दे रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार क्रिस्टीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की ळक्च् 27 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

संक्षेप में महिलाआएं ग्रामीण हो या शहरी शोषण का शिकार होती ही रही है। इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए भारतीय संविधान में न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान किये हैं, बल्कि सरकार को यह शक्ति प्रदान

की है कि वह महिलाओं के साथ सकारात्मक समानता के लिए प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने वाली रूढ़ियो, परम्पराओं कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया जाये। किन्तु सरकार के द्वारा चलाये गयी सभी योजनाएं कार्यक्रम व्यर्थ है जब कि महिलाएँ स्वयं जागरूक नहीं होती। यदि महिलाओं में स्वाभिमान व आत्मसम्मान की भावना जाग्रत नही होगी, तब तक महिला को समानता महज एक कल्पना बनकर जायेगी।

महिलाओं की समस्याओं पर लेखक प्रेमकुमारी दिवाकर ने भी कहा कि 21वी सदी में महिलाओं के पास अधिकार होने के पश्चात् भी वे सुरक्षित नहीं है। क्योंकि परम्परा से चली आ रही और महिलाओं को अभी भी नहीं बदलने देता। जब तक महिलाओं को अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान किये वे पराधीनता एवं दासता का जीवन व्यतीत रही है।

इसलिए आवश्यकता महिला स्वयं सशक्त होकर अपनी समस्याओं का समाना करना सीखे। समाज में होने वाली सभी प्रकार की कुरीतियाँ रीति–रिवाज के नाम पर हो या सामाजिक परम्पराओं के नाम पर कहीं पर भी उसके साथ शोषण हो तो उसका पुरजोर विरोध करें और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास करें।

निःसंदेह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है और समाज सुधार में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के द्वारा महिलाएं जागरूक भी हो रही है, जहाँ पर महिला विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। देखा गया है संविधान के द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान कर देने से ही उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पायेगा। संविधान के द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन तो आया है, परन्तु महिलाओं की स्थिति अभी भी सुदृढ़ नहीं हो पायी हैं, क्योंकि अधिकांश महिलाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो अथवा शहरी क्षेत्र से उनको अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं है जिस कारण वे इन अधिकारों का सही तरीके से लाभ उठा सके। इसलिए विकसित राष्ट्र बनाने के साथ–साथ महिलाओं को विशेष एवं महत्वपूर्ण परिस्थिति भी बनायी वही बहत्तर राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण पहल है।

संदभ ग्रन्थ सूची :–

1. नीरा देसाई, ''भारतीय समाज में नारी'', मैकमिलन इण्डिया लि० नई दिल्ली 1982।
2. रिचा भुनेश्वरी – ''महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ'', प्रकाशक रितु पब्लिकेशन्स सीतारामपुरी रोड़ जयपुर 2011।
3. कमलेश, कटारिया – ''नारी जीवन वैदिककाल से आज तक'', यूनिक ट्रेडर्स जयपुर 2002।
4. मनीष कुमार, ''महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा'', मधुर बुक्स दिल्ली 2008।
5. अनुराधा पाण्डेय, ''महिला सशक्तिकरण इशिका पब्लिशिं हाउस'', जयपुर 2010।
6. अनीता मोदी, ''महिला सशक्तिकरण विविध आयाम'', बाइंकिंग बुक्स जयपुर संस्करण 2011
7. सुधार रानी, ''भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति'', कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1997
8. सर्वप्निल सारस्वत, '' समाज राजनीति और महिलाएं दशा और दिशा राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2004